

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक २ अगस्त, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।


विषय- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।

संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 6-7-2017.

—••—

संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया को कतिपय विभागों में आवश्यक प्रणाली स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक के लिए स्थगित रखा गया था । स्थगन अवधि में दिनांक 31-10-2017 तक की वृद्धि की जाती है ।

2/ उपर्युक्त समय वृद्धि अंतिम है । अतः सभी संबंधित विभाग आवश्यक व्यवस्थायें उपरवर्णित समयसीमा में कृपया आवश्यक रूप से विकसित किया जाना सुनिश्चित करें ।



(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक २ अगस्त, 2017

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


(अनंद कुमार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग